



2026:AHC:51180

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9305/2026

ललता प्रसाद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: मकसूद आलम

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया

- याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. के. त्रिपाठी को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
- उपर्युक्त पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी पक्ष को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी पक्ष उक्त आदेश से व्यथित होता/होती है, तो उसे आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-जिलाधिकारी, तहसील मछलीशहर (न्यायिक), वाराणसी मंडल, जनपद जौनपुर को निर्देशित किया जाए कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत लंबित वाद संख्या 11067 सन् 2024, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202414360311067 का निस्तारण निर्धारित अवधि के भीतर करें।
- याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के

प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना अपेक्षित है। धारा 24 की उपधारा (3) इस प्रकार है:-

“(7). इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, यथासंभव, आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा पूर्ण की जाएगी।”

5. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि व्यतीत हो चुकी है, तथापि आज तक प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, फलस्वरूप वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त वाद का निर्णय, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई विधिक बाधा न हो, संपादित करे।

(प्रकाश पडिया, न्यायमूर्ति)

12 मार्च, 2026